प्रेषकः

ओम प्रकाश त्रिपाठी,
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवा में:

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 1697 / XV फतेहपुरःदिनांक जुलाई 13 ,2020

विषयः जनपद न्यायालय, फतेहपुर के अंतर्गत कार्यरत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, फतेहपुर में नियुक्त लिपिक के नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, फतेहपुर में नियुक्त लिपिक श्री सिद्धार्थ पाण्डेय के नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फतेहपुर ने अपने पत्र संख्या 669 / एसटी-डीएम दिनांक 12.07.2020 द्वारा सूचना प्रेषित की है।

श्री सिद्वार्थ पाण्डेय, जनपद न्यायालय, फतेहपुर परिसर स्थित राजकीय आवास संख्या बी-11 सी ब्लाक, फतेहपुर में वर्तमान समय में निवास कर रहे हैं। जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निर्गत प्रेस नोट द्वारा राजकीय आवास संख्या बी-11 सी ब्लाक, फतेहपुर को कण्टेनमेण्ट एरिया घोषित कर दिया गया है जो कि जनपद न्यायालय परिसर, फतेहपुर के अन्दर स्थित है।

अतएव जिलाधिकारी, फतेहपुर के उपरोक्त वर्णित पत्र एवं प्रेस नोट के अनुरूप कोविड-19 महामारी से बचाव के प्रयासों के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad Dated 03 June 2020 के बिन्दु 14 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद न्यायालय, फतेहपुर (बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) खागा, फतेहपुर एवं ग्राम न्यायालय, बिन्दकी, फतेहपुर को छोडकर) को कण्टेनमेण्ट जोन में रहने तक अग्रिम आदेश तक बन्द रखे जाने का आदेश पारित कर दिया गया है। 13.7.20

जिलाधिकारी, फतेहपुर से प्राप्त पत्र एवं प्रेस नोट की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

दिनांकः जुलाई 13 ,2020

भवदीय

13/7/20

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

पत्रांक /   फतेहपुरःदिनांक जुलाई ,2020

प्रतिलिपि वैक्तिक सहायक, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदया, फतेहपुर सेशन डिवीजन, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
जनपद–फतेहपुर।

पत्रांकः 669 /एस0टी0–डी0एम0

दिनाँक 12.07.2020

महोदय,

कृपया जिला सर्विलेन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, जिला चिकित्सालय फतेहपुर की कोरोना से सम्बधित आज दिनांक 12.07.2020 को प्राप्त कोविड–19 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सिद्दार्थ पाण्डेय पुत्र श्री के0पी0 पाण्डेय, निवासी–ग्राम–भसमा, दवरपार, जनपद–गोरखपुर वर्तमान पता बी0–11, सी0 ब्लाक, सिविल कोर्ट परिसर, शहर फतेहपुर जिनका कोरोना सैम्पल दिनांक 08.07.2020 को लिया गया था, की रिपोर्ट आज दिनांक 12.07.2020 को धनात्मक पायी गयी है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(संजीव सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर।

Seen
13/7/20.
जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर

प्रेस नोट

सिविल लाइन, निकट विद्यार्थी चौराहा, थाना कोतवाली शहर–फतेहपुर निवासी 01 महिला (मूल निवासी जनपद–जौनपुर), एम0 आई0 जी–455, आवास विकास कालोनी, थाना–कोतवाली, जनपद–फतेहपुर निवासी 01 व्यक्ति, बी0–11 सी ब्लाक, सिविल कोर्ट परिसर, थाना–कोतवाली, शहर फतेहपुर निवासी 01 व्यक्ति (मूल निवासी–जनपद गोरखपुर), डी0–18, कलेक्ट्रेट कालोनी, थाना–कोतवाली, शहर फतेहपुर निवासी 01 महिला, मुराईन टोला, गंदानाला के पास, थाना–कोतवाली, जनपद–फतेहपुर निवासी 01 व्यक्ति, थाना बकेवर परिसर, ब्लाक–देवमई, तहसील–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर निवासी 01 व्यक्ति (मूल निवासी–जनपद–मथुरा), करबा बकेवर, बैंक आफ बडौदा के पास, थाना–बकेवर, ब्लाक–देवमई, तहसील–बिन्दकी जनपद–फतेहपुर निवासी 02 पुरूष एवं 03 महिला, जिनकी दिनांक 08.07.2020 को कोरोना वायरस (कोविड–19) की सैम्पल भेज कर जॉच करायी गयी, जिनकी कोविड–19 की रिपोर्ट आज दिनांक–12.07.2020 को धनात्मक पायी गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा शासन के निर्देशानुसार सिविल लाइन, निकट विद्यार्थी चौराहा, थाना–कोतवाली, [illegible] फतेहपुर, एम0 आई0 जी–455, आवास विकास कालोनी, थाना–कोतवाली, जनपद–फतेहपुर, बी0–11, सी ब्लाक, [illegible] परिसर, थाना–कोतवाली, शहर फतेहपुर, डी0–18, कलेक्ट्रेट कालोनी, थाना–कोतवाली, शहर फतेहपुर, मुराईन टोला, [illegible] के पास, थाना–कोतवाली, जनपद–फतेहपुर, थाना बकेवर परिसर, ब्लाक–देवमई, तहसील–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर, [illegible] बकेवर, बैंक आफ बडौदा के पास, थाना–बकेवर, ब्लाक–देवमई, तहसील–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर को "कन्टेनमेन्ट ऐरिया" घोषित कर समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को निर्देश दिये गये कि "कन्टेनमेन्ट ऐरिया" में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त ग्राम में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निरूद्ध कर दिया गया है। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलवरी की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियन्त्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो।

जनपद फतेहपुर कोरोना रिपोर्ट अपडेट –

01. कुल लिये गये सैम्पल	–	8201
02. कुल रिपोर्ट प्राप्त	–	7144
03. आज प्राप्त कुल रिपोर्ट	–	170
04. आज प्राप्त कुल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट	–	11
05 कुल कोराना पॉजिटिव	–	217
06. कोरोना एक्टिव केसों की संख्या	–	73
07. अब तक कोविड L-1 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज व्यक्तियों की संख्या	–	144

कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव हेतु निम्नानुसार आमजन से अपील की जाती है :–

- जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकले और बिना मास्क लगाये घर से बाहर कदापि न निकलें।
- निरन्तर साबुन, हैण्डवाश एवं सिनेटाइजर से हाथवाश करते रहें।
- 01 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी निरन्तर बनाये रखें।
- अपने–अपने आवास एवं आस–पास के स्थान को निरन्तर ब्लीचिंग आदि से साफ–सफाई करते रहें।
- आरोग्य सेतु ऐप में प्रतिदिन कोरोना के सम्बन्ध में अपनी सूचना अपडेट करें और कोविड–19 से सुरक्षा की जानकारी हेतु आयुष कवच ऐप डाउनलोड करें।

(संजीव सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर।